संख्या-23/2024/001-478-24-1-24-6626 SP-95 TC

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग,
विद्युत नियामक भवन, निकट मंत्री भवन,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 19 मार्च, 2024**

विषय:- उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा आरोपित फीस एवं फाइन्स तथा विधिवत रूप से प्राप्त अन्य धनराशि को राजकोष में समर्पित अंकित करते हुए उसे ग्राण्ट के रूप में आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-234/नि0नि0प्र0/ऊर्जा, दिनांक 27.11.2000 जिसके अनुसार उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा आरोपित फीस एवं फाइन्स तथा विधिवत रूप से प्राप्त अन्य धनराशि को 31 मार्च, 2024 तक राजकोष में समर्पित करते हुए समतुल्य धनराशि सहायता अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जाना है, के संदर्भ में उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के पत्र संख्या-यू0पी0ई0आर0सी0/लेखा/बजट/2024-1932, दिनांक 12 मार्च, 2024 द्वारा आरोपित फीस एवं फाइन्स तथा विधिवत रूप से प्राप्त अन्य धनराशि के एवज में उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के मूल आय-व्ययक के मतदेय मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 16,07,36,000/-(रूपये सोलह करोड़ सात लाख छत्तीस हजार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2024 तक कुल रूपये 48,08,86,479/- (रूपये अड़तालिस करोड़ आठ लाख छियासी हजार चार सौ उन्यासी मात्र) की धनराशि वसूल की गयी है। उसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में धनराशि रूपये 16,07,36,000/- (रूपये सोलह करोड़ सात लाख छत्तीस हजार मात्र) मतदेय मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा आयोग द्वारा एकत्र की गयी अवशेष धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2024 तक राजकोष में जमा करायी जायेगी।

(2) उपरोक्त धनराशि का आहरण नगद नहीं किया जायेगा, वरन पुस्तक समायोजन द्वारा समतुल्य धनराशि प्राप्ति लेखा शीर्षक-"0043-विद्युत कर तथा शुल्क-800-अन्य प्राप्तियाँ-01-विद्युत नियामक आयोग से प्राप्त फीस एवं फाइन्स आदि" के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 16,07,36,000 (रुपये सोलह करोड़ सात लाख छत्तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 009 **लेखा शीर्षक** 2045001030400 उ.प्र.इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशन के गठन हेतु एक मुश्त व्यवस्था **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-178-X-2023-24-दिनांक:19-3-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभंजन यादव)
अनु सचिव।

संख्या-23/2024/001-478(1)-24-1-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001
2- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
3- महालेखाकार, (लेखापरीक्षा ।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- ऊर्जा (निजी निवेश) प्रकोष्ठ।
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रभंजन यादव)
अनु सचिव।